2023/200

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[रीख] अहकाम ज[ो इस] हुक्म की [तामील] में जारी [हुए]
28/6/24	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र आपत्ति बंटवारा प्रस्ताव पालना रिपोर्ट व पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 1 पवन कुमार को सूचित करने के उपरान्त बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया तथा बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार कुचामन द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया है इसलिए बंटवारा प्रस्ताव पुनः मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है प्रा०पत्र बाबत आपत्ति पालना रिपोर्ट खारिज किया जाता है उभयपक्षकान की अंतिम बहस सुनी गई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सो इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व शामिल रिकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 16:28:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम नावां जिला डीडवाना–कुचामन

संदीप मिश्रा निवासी घाटवा सा. घाटवा तह. नावां	बनाम	कालूखां वगैरह निवासी घाटवा सा. घाटवा तह. नावां

किस्म कुमदमां : 53, 188 आरटीएक्ट — मुकदमां नम्बर – 116 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
24.07.2024	तहसीलदार कुचामनसिटी के द्वारा पत्रांक : भू.अ./2024/806 दिनांक 22.07.2024 के जरिये प्रकरण हाजा में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 की पालना हेतु पटवारी हल्का रिपोर्ट/उप तहसीलदार चितावा से प्राप्त रिपोर्ट पेश करते हुये मार्गदर्शन चाहे जाने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक में तथ्य स्पष्ट किये कि न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 में वर्णित भूमि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील नावां का नामान्तकरण संख्या 1574 दिनांक 05.07.2024 दर्ज किया गया है जो वर्तमान में लम्बित चल रहा है। उक्त नामान्तरण में तरमीम करते समय खसरा नं. 83 की रकबा बराबरी करने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव रकबा बराबर नहीं होता है। पूर्व में न्यायालय हाजा के द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 16.10.2023 की पालना में जरिये पत्रांक : भू.अ./2024/1098 दिनांक 06.06.2024 के जरिये प्रेषित विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सहवन से खसरा नं. 83 की खसरा नं. 84 से लगती सीमा पर वादी नं. 1 व 2 को उतर की तरफ नहीं बढाया गया, जिससे प्रतिवादी संख्या 41 की भूमि खसरा नं. 83 में उतर की ओर उपर तक जाने से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव बराबर होता है। जबकि मूल विभाजन प्रस्ताव में वादी नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी 41 की उतरी सीमा बराबर है (एक सीध में) अतः वादी नं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 41 को उतर की तरफ बढ़ाकर तरमीम करने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार रकबा सही बैठता है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 व 2 को खसरा नं. 83 में पूर्व में ही प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव में मार्क जी. स्थल की भूमि भी प्रतिवादी संख्या 41 को प्रस्तावित की गई है। अतः माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 की पालना किये जाने हेतु माफिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का घाटवा दिनांक 19.07.2024 में वर्णित नजरी नक्शानुसार तरमीम किये जाने बाबत आदेश पारित करावे। तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पत्रांक : भू.अ./2024/1098 दिनांक 06.06.2024 का अवलोकन किया। जिससे तहसीलदार कुचामनसिटी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होती है। तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत आदेश 152 के तहत जिसमें स्वप्रेरणा से न्यायालय आदेश की पालना [illegible] डिक्री किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार [illegible] टी से प्राप्त संशोधित प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव माफिक पटवारी हल्का [illegible] स्थिति रिपोर्ट तथा नजरी नक्शानुसार [illegible] है। इस आशय की संशोधित आदेश तथा तहरीर पालनार्थ तहसील[illegible] कुचामनसिटी को भिजवाये जावे। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.09.15 15:28:14 IST Reason: SelfAttested (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	

Scanned with OKEN Scanner